**Title:** Requests the Central Government to direct the State Governments to give admission to the handicapped students in schools and colleges according to the fixed quota.

श्री नरेश पुगलीया (चन्द्रपुर): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। देश के लाखों विकलांग वि द्यार्थियों के लिए स्कूल, कालेजों में एडमिशन और नौकरियों में भी तीन-तीन प्रतिशत का आरक्षण का कोटा निर्धारित है। नागपुर में मेडिकल कालेज में इन वि द्यार्थियों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। ये लोग जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्लियर कर दिया कि चाहे इंजीनियरिंग कालेज हो या मेडिकल कालेज या पोस्ट ग्रेजुएट कालेज हों, इनको तीन प्रतिशत आरक्षण का कोटा मिलना चाहिए। इसी तरह से सर्विसेज में भी विकलांगों को कोटा मिलना चाहिए। आज देश के लाखों विकलांग सर्विस के लिए तरस रहे हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों को सूचना दी जाए कि इनके लिए जो कोटा निर्धारित है, उसके अनुसार इनका एडमिशन होना चाहिए। मुझे उम्मीद है केन्द्र सरकार आपके माध्यम से उचित कार्यवाही करेगी।